नगर निगम रोहतक की दिनांक 28.11.2017 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट।

दिनांक 28.11.2017 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेनू डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक मे निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुएः-

1. श्रीमति मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक भाटी, वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री राजबीर सिंह, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमति ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमति उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
9. श्रीमति अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमति नीरा, सदस्य वार्ड नं0 14, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमति लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री विजय कुमार, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री मदन लाल कुरड़ा, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
17. श्री जय भगवान सैनी, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणो तथा अधिकारियों का स्वागत किया सर्वप्रथम दिनांक 24.05.2017 की सदन की बैठक में लिये गये निर्णयो पर कार्रवाई रिपोर्ट पत्र क्रमांक 4528-55 दिनांक 04.09.2017 द्वारा सभी सदस्यगण को भिजवा दी गई थी। सदन में इस कार्यवाही रिपोर्ट पर किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गई। अतः इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस पश्चात सदन में रखे गये एजेन्डो पर चर्चा की गईः-

क्रम सं0	एजेन्डा	निर्णय
1.	**नेहरु कालोनी में बनाए जा रहे पार्क का नामकरण राधे श्याम पार्क करवाने बारें।** श्रीमती नीलम पत्नी स्वः श्री राधे श्याम पुत्र हरिसिंह निवासी म0 न0 1793/1, नेहरू कालोनी, रोहतक का प्रार्थना पत्र माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें नेहरू	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि नेहरू कालोनी में बनाए जा रहे पार्क का नामकरण राधे श्याम पार्क रखा जाये।

48

	कालोनी में जो पार्क बनाया जा रहा है उसका नाम श्रीमती नीलम के पति स्वः श्री राधे श्याम के नाम पर करने बारे अनुरोध किया है। अतः नेहरु कालोनी में बनाए जा रहे पार्क का नामकरण राधे श्याम पार्क रखने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	**(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
2.	**हिसार रोड ट्रक मार्किट को स्थानान्तरित करने हेतु।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रधान, विश्वकर्मा ट्रक आटो यूनियन, हिसार रोड, रोहतक ने प्रार्थना पत्र दे कर प्रार्थना की है कि काफी समय से हिसार रोड ट्रक मार्कीट को शहर से बाहर ले जाने के बारे मे कहा जा रहा है जो कि सैक्टर 18 A व 21 A में ले जाने के बारे में बताया गया लेकिन वहां पर केवल 245 दुकाने है। जबकि मार्केट में लगभग सात सौ के करीब दुकाने है। रोहतक से विधायक श्री मनीष ग्रोवर, सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार के कहने पर आपने सुनारिया रोड पर जो जमीन दिखलायी, वह जगह हिसार रोड ट्रक मार्किट को स्थानंतरित करने के लिए वाजिब जगह है। कृप्या करके इस मामले मे जल्द से जल्द कारवाई करके हिसार रोड ट्रक मार्केट को वहां पर स्थानान्तरित किया जाये। यहां यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम की गांव सुनारी कलां में किला न0 6//12, 13, 15, 16, 25//15, 16, 25, 29//3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 30//11,12,13/1 किते 20 रकबा 148 कनाल यानी 18 एकड़ 4 कनाल में से उनकी मांग अनुसार केवल 14 एकड़ भूमि ट्रक मार्किट, हिसार रोड से सुनारी कलां में स्थानान्तरित करने के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। यह भूमि उन्हे किस शर्त पर उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया कि सरकार की निर्धारति शर्तो पर मार्किट स्थानान्तरित की जाये तथा इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि जे0पी0 कालोनी की आटो मार्किट भी सैक्टर 18 ए व 21 ए में स्थानान्तरित की जायेगी। **(कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
3.	**नगर निगम क्षेत्र में मुख्य सड़को पर अतिक्रमण की वजह से यातायात को सुचारु रुप से चलाने बारे।** रोहतक शहर के व्यस्त बाज़ार किला रोड, माल गोदाम रोड व रेलवे रोड पर काफी भीड़ रहती है। दुकानदार अपनी दुकानो के आगे सामान रख कर अतिक्रमण भी कर लिया जाता है। यातायात की भी काफी समस्या है। इस कारण बाज़ार में महिलाओं और व्यापारियों के साथ लूट पाट व सामान चोरी हो जाता है। अगर इन स्थानो पर Trial के तौर पर केवल तीन माह के लिए नगर निगम की और से सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए जाते है तो इस से आम जन व व्यापारियों को भी काफी राहत मिलेगी। नगर निगम की और से सुरक्षा कर्मी तैनात करने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर निगम, रोहतक कार्यालय में लगे हुए कर्मचारियो में से ही कर्मचारियो को लगाया जाये तथा संबंधित पार्षद की देख-रेख में ही कर्मचारी तैनात किये जाये। **(कार्रवाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
4.	**रोहतक शहर से रेलवे लाईन के साथ गंदगी हटवाने बारे।** रोहतक शहर के बीच से निकलने वाली रेलवे लाईन (जो दिल्ली जाती है) की साईड में काफी	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि दिल्ली की ओर जाने वाली रेलवे लाईन (डबल फाटक

	गंदगी रहती है। अतः इस रेलवे लाईन के साथ-साथ वाले क्षेत्र में रेलवे के सहयोग से ग्रीन बैल्ट विस्तृत करने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	से कन्हेली तक) के साथ-साथ भिवानी की ओर जाने वाली रेलवे लाईन पालिका कालोनी वैश्य शमशान घाट के समाने की लाईन पर जिसकी वजह से गंदगी रहती है, बिमारियां भी फैल रहीं है। इसके अतिरिक्त रेलवे की जगह भी यहां खाली पड़ी है। अतः रेलवे के सहयोग से इन स्थान पर ग्रीन बैल्ट विकसित की जाए। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
5.	**विवाह/रस्म क्रिया व अन्य प्रोग्रामों हेतु चौ0 मातुराम कम्यूनिटी सैन्टर की बकिंग हेतु।** मातुराम कम्यूनिटी सैन्टर गांधी नगर द्वारा 08.06.2017 को कब्जा लिया जा चुका है। नगर निगम मातुराम कम्यूनिटी सैन्टर के प्रत्येक हॉल की बुकिंग फीस 11000/- + 2000/- सफाई खर्च + 3000/- + GST बिजली खर्च ले रहा है और रस्म क्रिया हेतु मु0 100/- व 1500/- रूपये + GST सफाई खर्चा बुकिंग कर्ता से ले रहा है। यह रेट निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव सदन की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे रेट को ही लिया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि मातुराम कम्यूनिटी सैन्टर के बाहर वाला रोड भी चौडा किया जायेगा। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
6.	**समुदायिक केन्द्र/धर्मशाला/ चौपाले/बारात घरो/ अन्य नगर निगम के भवनो का किराया निर्धारित करने बारे।** नगर निगम, रोहतक द्वारा नगर निगम सीमा में सामुदायिक केन्द्रो/ धर्मशाला /चौपाले/ बारात घरो तथा भवनो का निर्माण किया हुआ है। इसमें से कुछ भवन तो सामुदायिक केन्द्र है तथा कुछ छोटे है व कुछ चौपाले/धर्मशालाए संबंधितो द्वारा की जाती है। छोटे सामुदायिक केन्द्र/बारात घर/धर्मशाला/चौपालो का किराया विवाह शादी हेतु मु0 2100/- रूपये, धार्मिक प्रोग्राम हेतु 1000/- रूपये तथा क्रिया हेतु मु0 100/- रूपये तथा सफाई खर्च 400/- रूपये लिये जा रहे है। इसके अतिरिक्त बिजली का प्रबन्ध बुकिंगकर्ता का स्वयं करने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि निगम द्वारा बनाये गये बड़े सामुदायिक केन्द्रो जैसे- मॉडल टाउन, मातुराम सामुदायिक केन्द्रो आदि को छोडकर बाकी बचे हुए छोटे सामुदायिक केन्द्र/बारात घर/धर्मशाला/चौपालो से विवाह शादी हेतु मु0 2100/- रूपये, धार्मिक प्रोग्राम हेतु 1000/- रूपये तथा क्रिया हेतु मु0 100/- रूपये तथा सफाई खर्च 400/- रूपये लिये जायेंगे। बुकिंग फीस के अतिरिक्त जी0एस0टी0 का खर्च अलग से होगा। **(कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
7.	**भगत सिंह पार्किंग को लीज पर देने बारे।** भगत सिंह पार्किंग के संदर्भ में मेयर, नगर निगम, रोहतक की अध्यक्षता में दिनांक	सर्वसम्मति से भगत सिंह पार्किग की खुली बोली करवाने का निर्णय लिया गया।

	08.06.2017 को बैठक आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि फाईनैंस एवं कान्ट्रेक्ट कमेटी तथा संबंधित पार्षद द्वारा निर्णय लिया गया कि भगत सिंह पार्किंग में 2 व्हीलर से 10 रूपये व 4 व्हीलर से 20 रूपये किराया लिया जाये। इसके साथ- साथ उपर के दोनो हॉल के रेट आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक द्वारा निर्धारित करवाये जाय, वहां पर जो फड़ी वाले बैठे हुए थे, उन्हे सामान्य रेट पर बिना बोली के दुकाने दी जाये तथा शेष स्थान को खुली बोली के द्वारा दिया जाये। इस बारे मंगलवार को आयुक्त, नगर निगम, रोहतक, फाईनैंस एवं कान्ट्रेक्ट कमेटी व संबंधित पार्षद द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। बैठक के उपरांत दिनांक 09.06.2017 को संबंधित पार्षद के साथ भगत सिंह पार्किंग का निरीक्षण किया गया। जिसमें संबंधित पार्षद द्वारा जो प्रस्तावना दी गई थी कि रेहड़ी वालो को प्रथम तल पर स्थान दिया जाये जबकि रेहड़ी वालो द्वारा मौके पर मना कर दिया गया। वे सभी भू-तल पर ही स्थान चहा रहे है। इसके अतिरिक्त किला रोड़ आदि मार्किट के प्रधानो द्वारा भी पार्किंग चार्ज पर विरोध किया गया था। इस पर सदन द्वारा निर्णय लिया जाये ताकि इसकी प्रस्तावना आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक को भेजी जा सके।	(कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)
8.	दुर्गा भवन मन्दिर के पीछे स्थित डेयरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने बारे सदन मे विचारार्थ।	इस बारे सदन में गहन विचार विमर्श हुआ पहले सदन द्वारा गढी बोहर में दुर्गा भवन मन्दिर के पीछे स्थित डेयरियों के प्रस्ताव को दो बार निरस्त किया जा चुका था। सदन द्वारा सर्वसम्मति से दुर्गाभवन के पीछे स्थित डेयरियो को अब बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। **(कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
9.	हरियाणा सरकार द्वारा गत दिनों लिये गये निर्णय हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण विभाग द्वारा सैक्टर इन्हान्समेंट तथा स्ट्रीट लाईटों के बिल में 2 पैसे यूनिट से बढाकर पूरे बिल पर 5 प्रतिशत कर देने से आमजन को बहुत परेशानी हो रही है। अतः इन दोनो निर्णयों पर पुनः विचार करने हेतू सदन की ओर से सरकार को पत्र लिखा जाये।	इस बारे निर्णय लिया गया कि इस फैसले पर पुनः विचार करने बारे आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा पत्र लिखा जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
10.	नगर निगम क्षेत्र मे जितने भी पी0जी0, कोचिंग सैन्टर, हस्पताल , रेस्टोरेन्ट व अन्य वाणिज्यिक संस्थान है सभी की का सर्वे करवाकर उनपर कार्रवाई की जाये। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा बंद किया गया संपत्तिकर का सर्वे पुनः चालू करवाया जाये।	इस बारे जिला नगर योजनाकार महोदय ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर की वाणिज्यिक सम्पत्तियो का सवे पूर्व में करवाया जा चुका है तथा उनके वणिज्यिक

		संपत्ति के बिल तैयार किये जा चुके है। existing data uploadation का कार्य चल रहा है उसके बाद सारी प्रक्रिया आनलाईन कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त शहर में अवैध रूप से रिहायशी कालोनियों मे चलाये जाने वाले पी0जी0 व कोचिंग सैन्टर पर नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत क्षेत्रीय कराधान अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
11.	पुराने बस स्टैण्ड स्थित वाल्मिकी चौक का नाम नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज करने बारे सदन की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से पुराने बस स्टैण्ड स्थित वाल्मिकी डिवाईडर का नाम नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज करने बारे निर्णय लिया गया परन्तु चौक न लिखकर Diversion लिखा जायेगा। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
12.	वार्ड 8 गांव बलियाणा की तहसील सांपला में है परन्तु अब बलियाणा नगर निगम रोहतक में होने के कारण उसकी तहसील रोहतक की करवाई जाये।	जिला नगर योजनाकार महोदय ने बताया कि इस बारे रेवेन्यू विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है। **(कार्रवाई भू, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
13.	सुनारियां कलां में गांव के बीच में जगह खाली पडी है उसमें हर्बल पार्क बनवाया जाये व सुनारिया खुर्द में दो पार्क बनवाये जाये।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन विभाग द्वारा जगह की Feasibility चैक करवाकर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
14.	श्री अजय जैन पार्षद, वार्ड नं0 15 ने माता दरवाजा स्थित पार्क का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण दास के नाम पर करने का अनुरोध किया है। सदन मे विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
15.	सर्वोदय एजूकेशन सोसायटी ने मिल्क प्लांट के पास वाले चौक का नाम सर्वोदय चौक रखने बारे अनुरोध पत्र दिया है। सदन मे विचारार्थ प्रस्तुत है।	अस्वीकृत किया गया।

16.	नगर निगम के सभी कार्य डिजिटल किये जाये जैसे ट्रैड लाईसैंस, हाउस टैक्स भुगतान, आर0टी0आई0, विवाह पंजीकरण, भवन नक्शा पास की प्रक्रिया इत्यादि।	जिला नगर योजनाकार महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि वर्तमान में सभी कार्य नगर निगम के सी0एस0सी0 सैन्टर व उसके साथ अन्य काउन्टरो पर आनलाईन किये जा रहे है व जल्द ही सम्पत्ति कर भुगतान भी आनलाईन किया जा सकेगा।
17.	नगर निगम के अंर्तगत आने वाले सभी पार्को मे जो भी विकास कार्य किये जाये वे सभी संबधित पार्षद की देख-रेख मे किये जाये।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में पार्को में विकास कार्य होगे वे सभी संबधित पार्षद की देखरेख मे किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त संबधित पार्षद को सूचित किये जायेंगें। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
18.	वार्ड 1 में कोढी आश्रम के आगे खाली पडी जमीन पर पार्क तथा कम्यूनिटी सैन्टर बनवाया जाये।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बारे पुनः सरकार को पत्र लिखा जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
19.	रोहतक कोर्ट परिसर के बाहर चौक पर महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति लगवाई जाये और उस चौक का नाम ज्योतिबा फूले रखा जाये।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रोहतक कोर्ट परिसर के बाहर चौक पर महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति लगवाने बारे जिला बार एसोसियेशन से पत्राचार करके उनसे राय लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
20.	वार्ड नं0 20 में सुनारिया कला व खुर्द के रेवेन्यू रस्ते को पक्का किया जाये तथा गउघाट बनाया जाय इसके अतिरिक्त सुनारिया कलां में रोड के दोनो साईड वाला नाला खत्म हो चुका है उसे बनवाया जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि सुनारिया का नाला पी0डब्ल्यू डी0 बी0एंड0 आर0 विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त सुनारिया कला व खुर्द के रेवेन्यू रस्ते को पक्का करवाने बारे आगामी कार्यवाही की जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

21.	नगर निगम रोहतक के सभी वार्डो मे घर-2 नंबर प्लेट लगवाए जाये जिससे कि हर घर की पहचान हो सके ।	अस्वीकार किया गया।
	<u>**बिजली विभाग से संबधित समस्याएं**</u>	
1.	1. वार्ड 19 में शीतल नगर, न्यूविजय नगर, आनन्द नगर व एकता कालोनी में बिजली के खम्बे व लगवाये जाये व इन कालोनीयो में बिजली बहुत कम रहती है अतः इन कालोनीयों में ट्रांसफार्मर लगवाये जाये।	कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को तुरन्त प्रभाव से विजय नगर, ऐकता कालोनी में खम्बे लगवाए तथा कुताना बस्ती में स्वीकृत 1.80 लाखा रूपये का कार्य करवाकर बिल नगर निगम कार्यालय में भिजवाये ताकि अदायगी की जा सकें। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
2.	2. वार्ड नं0 3 व 4 में जिन गलियों में बिजली के खम्भे नही है वहां बिजली के खम्भे लगवाये जाये।	कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को तुरन्त प्रभाव से वार्ड नं0 3 व 4 में जिन गलियों में बिजली के खम्भे नही है वहां बिजली के खम्भे लगवाने के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

इसके बाद मेयर महोदया की स्वीकृति उपरान्त निम्नलिखित एजेन्डे सदन में रखे गये:-

क्रम सं0	एजेन्डा	निर्णय
1.	वार्ड नं0 9 के पार्षद श्री बलराज जी ने महर्षि दयानन्द विश्वविघालय के दूसरे गेट पर स्थित चौक का नाम शहीद मेजर सज्जन सिंह गहलावत तथा मेडिकल मोड पर बने चौक का नाम शहीद लैफ्टीनेंट कुलदीप राठी चौक रखने बारे सदन में अनुरोध पत्र दिया।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
2.	वार्ड नं0 11 की पार्षद अनिता मिगलानी ने उनके वार्ड डी0एल0एफ0 कालोनी मे बने पार्क का नाम बाबा बन्दा बहादुर पार्क रखने बारे सदन में एजेन्डा रखा।	इस पर आयुक्त महोदय द्वारा डी0एल0एफ0 कालोनी का रिकार्ड में नाम चैक करवाने को निर्देश दिये गये यदि नगर निगम के रिकार्ड में उक्त पार्क का नाम नगर निगम के रिकार्ड न हुआ तो पार्क

		का नाम नगर निगम के रिकार्ड न हुआ तो पार्क का नाम बाबा बन्दा बहादुर पार्क रख दिया जायेगा। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
3.	गांव बोहर में नान्दल भवन के पास खाली पडी जमीन पर पार्क बनवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार, नगर निगम रोहतक को जमीन की निशानदेही करवाने के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
4.	वार्ड नं0 14 के पार्षद ने भिवानी स्टैन्ड से लेकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चौक तक डा0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चौक से मेडिकल मोड तक लाल बहादुर शास्त्री मार्ग रखने बारे अनुरोध किया।	इस पर जिला नगर योजनाकार महोदय ने कहा कि इस बारे सम्बन्धित पार्षद से प्रस्तवना लेकर ही आगामी कार्रवाई अमल मे लाई जायेगी ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचा जा सके।
5.	गांव बलियाणां के जोहड का पानी काफी गंदा हो रहा है इसक लिएं रिर्टनिग वाल बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
6.	वार्ड नं0 8 के पार्षद द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि गांवो के क्षेत्र में स्ट्रीट लाईंटे लगवाई जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिये गये कि आवश्यकतानुसार व मौका देखकर ही स्ट्रीट लाईंटे लगवाई जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
7.	वार्ड नं0 19 के पार्षद श्री अनिल कुमार जी ने सदन को अवगत करवाया कि कन्हेली मे बने डेयरी काम्पलैक्स में पानी की सप्लाई नही है। इस बारे अधिकारियो को भी कई बार शिकायत दी जा चुकी है परन्तु कोई कार्रवाई नही की गई है।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थय विभाग को तुरन्त प्रभाव से मौका देखकर रिपोर्ट दने के आदेश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
8.	शहर मे चल रही अवैध मीट की दुकानो को सील किया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य सफाई निरीक्षक को

		शहर में अवैध रूप से चल रही अवैध मीट की दुकाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
9.	वार्ड नं0 12 के पार्षद श्री गुलशन ईशपुनियानी ने सदन को अवगत करवाया कि घनीपुरा में सीवर लाईन डाली गई है, उस रोड़ को तोड़कर छोड़ दिया गया है। रोड़ को ठीक करवाया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिये गये कि सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग व नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक साथ में मौका देखकर इस कार्य को पूर्ण करवाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक व कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 4/12/17

क्रमांक MCR/Mayor/2017/6185-89

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री मनीष ग्रोवर, माननीय सहकारिता, लेखन एवं मुद्रण सामग्री व शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा।
4. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2017/6190-96 दिनांक 4/12/17

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. महा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
7. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2017/6197-6202 दिनांक 4/12/17

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सिविल सर्जन रोहतक।
3. अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रोहतक।
4. अधीक्षक अभियंता उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।